



सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर के  
मुख्य आयुक्त का कार्यालय, विशाखापट्टणम क्षेत्र  
प्रथम तल, जीएसटी भवन, पत्तन क्षेत्र,  
विशाखापट्टणम - 530035

Office of the Chief Commissioner,  
Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone  
1<sup>st</sup> Floor, GST Bhavan, Port Area,  
Visakhapatnam - 530035

(P): 0891-2568837 (F) 0891-2561942

ccu-cexvzg@nic.in

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.09/2024 (आशुलिपिक ग्रेड-II)

**Establishment Order (N.G.O) No. 09/2024 (Stenographer Gr-II)**

**दिनांक 10 मई 2024 Dated 10 May 2024**

आशुलिपिक ग्रेड- II के संवर्ग में अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 154/2023 दिनांकित 01.12.2023 के अनुसार सुश्री अन्सारी तहेमीन बसीरुद्दिन की प्रारंभिक नियुक्ति एवं विशाखापट्टणम सीजीएसटी क्षेत्र में आवंटन पर और श्री कुंदन कुमार, आशुलिपिक ग्रेड- II के रांची जोन में ऋण आधारित तैनाती से प्रत्यावर्तन होने के परिणामस्वरूप, आशुलिपिक ग्रेड- II के संवर्ग में निम्नलिखित तैनाती तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक किए जाते हैं:-

Consequent upon allotment of **Ms. Ansari Tahemin Basiruddin** to Visakhapatnam CGST Zone vide CCA, Hyderabad EO (NGO) No. 154/2023 dated 01/12/2023 on initial appointment to the post of Stenographer Grade-II, and repatriation of **Shri Kundan Kumar, Stenographer Grade-II** from loan based posting at Ranchi Zone, following postings in the cadre of Stenographer Grade-II are ordered with immediate effect and until further orders:-

सं क्र Sl No.	अधिकारी का नाम (श्री/सुश्री) Name of the Officer (Shri/Ms)	वर्तमान तैनाती स्थान Present place of posting	मु.आ.का.(वि.क्षे) में रिपोर्ट करने की तिथि Reported to CCO(VZ) on	तैनात किया गया आयुक्तालय Commissionerate Posted to
1.	कुंदन कुमार Kundan Kumar	प्रत्यावर्तन पर On repatriation	06.05.2024 (FN)	विशाखापट्टणम सीजीएसटी Visakhapatnam CGST
2.	अन्सारी तहेमीन बसीरुद्दिन Ansari Tahemin Basiruddin	आवंटन पर On allotment	01.05.2024 (FN)	मु.आ.का (वि क्षेत्र) CCO VZ

2. क्रम संख्या 1 के अधिकारी को अपने नए पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 10.05.2024 के अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है।

The officer at S.No.1 stands relieved in the afternoon of 10.05.2024 to enable him to report at his new place of posting.

3 . क्रम संख्या 2 के अधिकारी के संबंध में अपर आयुक्त केन्द्रीय कर, हैदराबाद सीजीएसटी आयुक्तालय (संनिप्रा), हैदराबाद द्वारा जारी स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं 154/2023 दिनांकित 01.12.2023 के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं।

In respect of Officer at Sl.No.2 above, all other terms and conditions in EO (NGO) No. 154/2023 dated 01.12.2023 issued by the Additional Commissioner of Central Tax, Hyderabad CGST Commissionerate (CCA), Hyderabad remain unaltered.

4 . संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए। Necessary entries may be made in relevant records.

5 . किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। In case of any ambiguity English version will prevail.

6 . यह मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क और केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

अपर आयुक्त/Additional Commissioner

(फाइल सं GCCO/II/(3)/95/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM से जारी)  
[Issued from file GCCO/II/(3)/95/2024-ESTT-O/o CC-CGST-ZONE-VISAKHAPATNAM]

सेवा में / To

संबंधित व्यक्तियों को। / The Individuals

प्रतिलिपि:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर, विशाखापट्टणम सीजीएसटी/हैदराबाद (संनिप्रा) ।
2. मु.ले.अधिकारी/ आ.सं.अ विशाखापट्टणम सीजीएसटी।
3. वे एवं ले. अधिकारी, विशाखापट्टणम
4. सूचना पट्ट/वेबसाइट/स्टॉक फाइल ।

Copy to:

1. The Principal Commissioner / Commissioner of Central Tax, Visakhapatnam CGST /Hyderabad (CCA).
2. CAO/DDO of Visakhapatnam CGST.
3. PAO Visakhapatnam
4. Notice Board/website/Stock file.